



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1611  
No. 1611

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2011/श्रावण 28, 1933  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2011/SRAVANA 28, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2011

का.आ. 1932 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के खंड (iii) के परंतुक के अनुसरण में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 52 (अ) तारीख 11 जनवरी, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(च) पैरा (क) और पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्ति यथास्थिति, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परिवहन विभाग से स्टीकर प्राप्त करेंगे और उस स्टीकर को यान के विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और वह निम्नलिखित रूप विधान में होगा :-

- सरकार(जारी करने वाली राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम)

फलैशर सहित या बिना फलैशर के लाल बत्ती के उपयोग के लिए अनुज्ञा

उच्च पदस्थ व्यक्ति का नाम.....

यान संख्या.....

टिप्पण : एक समय पर एक उच्च पदस्थ व्यक्ति को केवल एक स्टीकर जारी होगा और स्टीकर सुरक्षा मुद्रित वाटर मार्क पेपर पर होगा और उस पर ऐसा होलोग्राम लगा होगा जो संबद्ध प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।”।

[फा. सं. आर.टी.-11028/2/2008-एम.वी.एल.]

नितिन आर. गोडरज, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना सं. का. आ. 52 (अ) तारीख 11 जनवरी, 2002 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सं. का. आ. 1725(अ) तारीख 9 अक्टूबर, 2007 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2011

S.O. 1932 (E).—The pursuance of clause (iii) of proviso to rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S. O. 52(E), dated the 11th January, 2002, namely:—

In the said notification after paragraph (e) the following shall be added, namely:—

3190 GI/2011

(1)

“(f) The dignitaries specified in paragraph (a) and paragraph (b) shall obtain a sticker from the transport Department of the concerned State Government of Union Territory Administration, as the case may be and that sticker shall be displayed on the vehicle, on the wind screen and shall be in the following format :—

Government of (name of issuing State Government of Union Territory Administrations)

Permission for using Red Light with or without flasher

Name of dignitary .....

Vehicle number.....

Note:— Only one sticker will be issued to one dignitary at one point of time and the sticker shall be on security printed water mark paper and shall carry such hologram as the concerned authority may specify.”.

[F.No. RT-11028/2/2008-MVL]

NITIN R. GOKARN, Jt. Secy.

Footnote:—The principal notification was published *vide* number S.O. 52 (E), dated the 11th January, 2002 and last amended *vide* number S.O. 1725 (E), dated the 9th October, 2007.